

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3930 वर्ष 2026**

करन कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : प्रेम प्रकाश सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 06 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69, 115(2), 118(1), 352 बीएनएस, थाना कोतवाली टांडा, जनपद अंबेडकर नगर में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और वह दिनांक 14.1.2026 से जेल में है। वे आगे कथन करते हैं कि अभियोजन के मामले के अनुसार, विवाह के बहाने, आवेदक ने लंबी अवधि तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये तथा जब वह विवाह हेतु जोर दे रही थी, पीड़िता को आवेदक द्वारा अपने घर बुलाया गया, जहां आवेदक ने उससे विवाह हेतु अपनी माता को बुलाने को कहा और, तत्पश्चात, अगले दिन, वे विवाह हेतु हनुमानगढ़ी मंदिर गये। उसी समय, आवेदक के परिजनों ने अभियोक्त्री के परिजनों को गाली देते हुए डांटना प्रारंभ कर दिया तथा आवेदक ने उसके बाल पकड़ लिये, और चाकू से उसके हाथ पर चोट पहुंचाई,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तत्पश्चात्, वे थाने गये और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। वे यह भी कथन करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि घटना हनुमानगढ़ी मंदिर पर घटित हुई तथा नक्शा नजरी में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है कि मारपीट की घटना हनुमानगढ़ी मंदिर पर घटित हुई। वे आगे कथन करते हैं कि विवेचना के दौरान, पीड़िता का बयान अंकित किया गया, जिसमें, उसने स्वीकार किया कि आवेदक ने बहुत पहले शारीरिक संबंध बनाये थे, अतः उसकी स्मृति में यह नहीं था कि उक्त तिथि पर उसके द्वारा कौन सा वस्त्र पहना गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि पीड़िता तथा उसके परिजन विवाह संपन्न कराने हेतु जोर दे रहे थे किंतु जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, तब पीड़िता ने अपनी बाईं कलाई पर ब्लेड से चोट पहुंचाई और, तत्पश्चात्, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं करते कि नक्शा नजरी में चोट पहुंचाने से संबंधित घटना दर्शाई नहीं गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु तथा अन्य सुसंगत प्रलेखों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि नक्शा नजरी में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि मारपीट हनुमानगढ़ी मंदिर पर हुई, अतः, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

6. आवेदक - **करन कुमार** - को उपरोक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आईपीसी/269 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 सी.आर.पी.सी./84 बीएनएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/209 बीएनएस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप विरचन; तथा (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी./351 बीएनएस के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10 जून, 2026

गौरव/-

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।